

समाहरणालय, पटना।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

फोन नं० 0612-2219233(का०)
फैक्स नं० 0612-2219233
E-mail-ladpatna@gmail.com

पत्रांक.....६६९.....भू-अर्जन,

प्रेषक,

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
एन०आई०सी०, पटना।

पटना, दिनांक-...०७/०५/१८.....

विषय:- परियोजना -बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु अधिघोषणा प्रकाशन का समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परियोजना बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 21 में यह स्पष्ट किया गया है कि भू-अर्जन हेतु अधिग्रहीत भूमि का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता के वेब-साइट पर डाला जाय।

अतः अनुरोध है कि मौजा-डुमरी चा०-04, थाना नं०-34 एवं मौजा- निजामपुर, थाना नं०-148 का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-दो मौजा का अधिघोषणा प्रकाशन की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पटना।

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-.....

दिनांक.....

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- डुमरी चा०-04, थाना सं०- 34, अंचल-पुनपुन, राजस्व थाना-मसौढ़ी, जिला- पटना में कुल 1.83 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 1.83 एकड़ है और जो मौजा- डुमरी चा०- 04, थाना सं०- 34, अंचल-पुनपुन, राजस्व थाना-मसौढ़ी, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वाभित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	346	1068	रैयती	कृषि	1.60	श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह वो अरुण कुमार सिंह, पिता स्व० हरिहरण सिंह, सा०- जट डुमरी	1067 अंश 3526 अंश	3476 अंश	3527 अंश	डुमरी चा०-01 का सिमाना
2.	158	3479	रैयती	कृषि	0.02	श्री दिपक सिंह पिता विजेन्द्र सिंह, सा०- जट डुमरी	3478 अंश	3479 अंश	3485 अंश	3479 अंश
3.	158	3526	रैयती	कृषि	0.21	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह पिता श्री निरंजन सिंह, सा०- जट डुमरी	3525 अंश	3526 अंश	3523 अंश	3527 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग

किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह०/—

समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०— 362दिनांक: 15/02/18.....

1. प्रतिलिपि:— तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:— प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

10/2/18
समाहर्ता,
पटना।

समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 531

दिनांक- 16.3.18

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- निजामपुर, थाना सं०- 148, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में कुल 0.58095 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.58095 एकड़ है और जो मौजा- निजामपुर, थाना सं०-148, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	68	405 अंश	कृषि	रैयती	0.285	धनेश कुमार पिता स्व० बजरंगी सिंह, सा०- चेचौल, नौबतपुर,	407 अंश	405 अंश	406 अंश	395 अंश
2	68	561 पूर्ण	कृषि	रैयती	0.25	उमाशंकर प्रसाद पिता स्व० केदार सिंह वो अरुण कुमार पिता स्व० त्रिभुवन सिंह, सा०- चेचौल, थाना- नौबतपुर	560 अंश	565 अंश, 566 अंश	559 अंश	562 अंश
3	68	564 अंश	कृषि	रैयती	0.005	दीनानाथ सिंह पिता स्व० हृदय नारायण सिंह, सा०- चेचौल	562 अंश	564 अंश	565 अंश	564 अंश
4	105	360 अंश	कृषि	रैयती	0.040 95	कृष्णा ठाकुर पिता स्व० सिहोरा ठाकुर, सा०- चेचौल	363 अंश	382 अंश	362, 361 अंश	360, 359 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग

(Handwritten signature)

किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


10/11/18
समाहता,
पटना।